2018/00137

2018/00137

18.8.17

24.10.17

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेशी स्टेज

27.11.17

15/11/17

20/2/14

जनरल रूल्स सि... ...डिक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड ... ...जिला–भीलवाड़ा (राज.)

2018/137

26/3/15

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
8-188 R.A	6/05 76/10 68/12 40/2018	23 $\frac{1}{05}$ 22 $\frac{4}{10}$ 12/4/18	29 $\frac{6}{15}$ 23/9/2021 24/3/22 17.11.22	15/5/14 26/6/15 30/7/15 17.9.17 27/11/17 27/12/14 25/2/15 29/4/15 25/6/15 18/4/18 29/5/18

10/7/29

अलफाज

13-6-2018

10-7-18

29-8-18

श्री — हजारी ... — श्री — ...

26/9/18

31/10/18

निवासी — ... — निवासी —

खारिज ... आदेश ...

12/12/18

16/1/19

5/2/19

19/2/19

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

17.3.20

7.1.21

19/4/23

डिक्रीदार

रेस्पाडेन्ट / मदयूनान

श्री — ... लाल ... — श्री —

श्री M.L. जोशी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/11/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 18.1.22 को वास्ते वहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
18/1/2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 22.3.22 को वास्ते वहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
22.3.22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते वहस दिनांक 24.3.22 को पेश हो।
24/03/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 05.05.22 को वास्ते वहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
05/05/2022	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते वहस दिनांक 28.07.2022 को पेश हो।
28.07.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 18/08/22 को वास्ते वहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
18.08.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 15.09.22 को वास्ते वहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
15.09.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 6.10.22 को वास्ते वहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते हैं जो अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 17.11.22 को पेश हो।	
17/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस नियत दि. 28.12.22 को पेश हो।	
28/12/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1.2.23 को वास्ते बहस पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
1.2.23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस पैरोकार सरकार दि. 8.3.23 को पेश हो	
8/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 12/4/23 को वास्ते बै/स. पेश हो। उप खण्ड अधि...	
12/4/23	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा बहस की गई। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/4/23 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/4/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है, [illegible] दिनांक 24/5/23 को वास्ते [illegible] बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
24/05/23 P.O.	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28/06/23 को पेश हो।
28/06/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 40/2018 दायर तारीख 12/04/2018

अनवान

हजारी पिता मांगू जाति बंजारा उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी रसदपुरा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा (राज0)।
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. खनि अभियन्ता खान एवं भू–गर्भ विभाग बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री मोहनलाल जोशी – अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक : 28/06/2023

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का पारिवारिक व्यवसाय कृषि होने से साथ ही उनकी आजीविका कृषि एवं कृषि श्रम पर आधारित हैं। वादी अपने परिवार का गुजर बसर एवं भरण पोषण कृषि कार्यो से करता हैं किन्तु वह भूमिहीन कृषक की सीमा का काश्तकार है ऐसी स्थिति में उसे और भी भूमि का आवंटन अथवा नियमन से प्राप्त करने का अधिकार हैं। मौजा नयानगर पटवारी हल्का नयानगर स्थित बिलानाम राजकीय भूमि ख0नं0 469 मी. का कुल रकबा 85 बीघा 08 बिस्वां हैं जिसमें से 4 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा सम्वत् 2040 के पूर्व से चला आ रहा हैं। जिस बाबत् राजस्व अभिलेखो में विवरण अंकित है। उक्त खसरा नम्बर के अतिरिक्त ख.न. 843/466 रकबा 5 बिस्वां, ख.नं. 844/466 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वां, ख.नं. 845/466 रकबा 4 बिस्वां, ख.नं. 847/466, रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वां भूमि ख0नं0 469 मी. रकबा 4 बीघा सहित 7–14 बीघा भूमि वादी के कब्जे में जरिये काश्त के शान्तिपूर्वक निरन्तर व बिना किसी बाधा के चली आ रही हैं। वादी व उसके परिवार के सदस्यों ने अपना शारीरिक श्रम व आर्थिक लागत लगा ख.नं. 469 मी. में करीब 80 फीट गहरायी वाले पक्के कुवे का निर्माण करवाया हुआ हैं साथ ही अपनी कब्जे वाली भूमि के चौ तरफ पत्थरों की दीवार का निर्माण करवाया जाकर 27–28 वर्ष पूर्व से भूमि व उपज की सुरक्षा की जा रही हैं। प्रतिवादी नं0 1 व 2 की जानकारी में वादग्रस्त बिलानाम भूमि पर वादी का कब्जा होना हैं क्योकि प्रतिवादी नं0 2 के कार्यालय द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही 27–28 वर्षो से निरन्तर की जा रही हैं। प्र.स. 1202 सन 93 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के निर्णय दिनांक 06.01.94 में वादी का कब्जा पुराना मानते हुए नियमन की सिफारिश भी हुयी हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी नं. 2 ने अपने प्र.स. 248 सन 98 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही में प्र.सं. 1202 सन 93 की दिनांक 06.01.94 को दोहराते हुये नियमन की सिफारिश की पुर्नावती की गयी।वादी का वादग्रस्त जायदाद पर प्रतिवादी नं0 2 द्वारा पोषित किये जाने वाले राजस्व अभिलेखों में भी जरिये काश्त के काबिज होना अभिलिखित हैं। प्रतिवादी नं. 1 एवं 2 द्वारा समय समय पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर नियमन की सिफारिशों के बावजूद शास्ती वसूल की जा रही हैं। दिनांक 03.11.04 को वादग्रस्त जायदाद की शास्ती 920/– रूपया प्र.सं. 470 सन 04 कार्यवाही अर्न्तगत धारा 91 राज0 भू. अधिनियम 1956 के वसूल की गयी हैं। वादी जरिये काश्त के लम्बे कब्जे के कारण व वादी के भूमिहीन काश्तकार होने से वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी पाने का अधिकारी हैं। इस बाबत् स्वयं प्रतिवादी नं0 2 लेण्ड होल्डर ने वादग्रस्त जायदाद की वादी को खातेदारी प्रदत्त किये जाने की अनुशंषा कर रखी है फिर भी वादी को खातेदारी प्रदान नहीं किया जाना उसके वैध अधिकारों का हनन होने से वादी नियमित वाद द्वारा वादग्रस्त जायदाद का अपने को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का वाद लाने की अधिकारिता रखता हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

प्रतिवादी नं0 एक द्वारा आराजी ख0नं0 469 मी0 रकबा 85 बीघा 08 बिस्वां को प्रतिवादी नं0 3 की मांग नही होने के बावजूद खनन कार्य हेतु आरक्षित कर दिया गया। जबकि आराजी ख0नं0 469 मी0 न तो सेण्ड स्टोन वाली भूमि है एवं न ही भूमि को खनन कार्य हेतु आरक्षित किये जाने से पूर्व कोई तकनीकी परिक्षण सेण्ड स्टोन की उपलब्धता बाबत करवाया गया हैं। मौके पर वादी द्वारा खोदी गयी चाह कुये से भी स्पष्ट हैं कि करीब 80 फीट की गहरायी तक ख0नं0 469 मी0 में सेण्ड स्टोन की उपलब्धता नही है प्रतिवादी नं0 एक ने उस क्षैत्र में आवंटन की मांग पर रोक लगाने के लिए बहुत सारी बिलानाम भूमि को अकारण ही खनन हेतु आरक्षित का नोट अंकित कर जमाबन्दी में अंकित कर रखा हैं।

वादपत्र के अन्त में वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा नयानगर स्थित ख.न. 843/466 रकबा 5 बिस्वां ख.न. 844/466 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वां, ख.नं. 845/466 रकबा 4 बिस्वां, ख.नं. 846/466 रकबा 4 बिस्वां, ख.नं. 847/466 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वां तथा ख.नं. 469 मी. के वादी के कब्जे वाली भूमि 4 बीघा सहित कुल भूमि 7 बीघा 14 बिस्वां भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादीर फरमाई जावें। तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त वाली वादग्रस्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल नही करें, तथा वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

प्रतिवादी नम्बर 3 ने वादपत्र के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत किया कि वादी का जीवन उपार्जन का साधन कृषि कार्य हैं अथवा नहीं विभाग की जानकारी में नही हैं। वादी भूमिहीन है अथवा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है, यह जानकारी खनिज विभाग को नही हैं। मौजा नयानगर प0ह0 नयानगर की सीमा मे बिलानाम भूमि हैं अथवा नहीं इसकी जानकारी विभाग को नही है। उक्त मामला राजस्व विभाग से सम्बन्धित हैं नाजायज कब्जा करने से किसी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते हैं। वादी ने उक्त आराजी नं0 469 मी. बिलानाम भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया हैं। जिसके स्वयं दोषी हैं, जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। उक्त आराजीयात में वादी का अवैध कब्जा 7 बीघा 14 बिस्वा सहित भूमि पर कब्जा अवैध हैं। अवैध कब्जे का अधिकृत राजस्व प्राधिकारी द्वारा तत्काल हटाया जाना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में बिलानाम भूमि खनिज संभावित क्षैत्र है, उक्त आराजीयात खनिज विभाग बिजौलियां के खाते में इन्द्राज कर अमल दरामद की कार्यवाही की जा चुकी है। वादी ने अवैध निर्माण किया है जो विध्वंस किये जाने योग्य हैं। उक्त भूमि खनिज संभावित क्षैत्र होने से बिलानाम भूमि को अतिक्रमणधारी के पक्ष में खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं चूंकि आ0नं0 469 मीन खनिज विभाग के खाते में खनिज सम्भावित क्षैत्र के रूप में इन्द्राज कर अमल दरामद की कार्यवाही की जा चुकी हैं। खनिज विभाग को उक्त मामले की जानकारी नहीं है। यह मामला राजस्व विभाग से सम्बन्धित हैं। वादी द्वारा न्यायालय में वाद पत्र पेश किया जो बेबुनियाद एवं मनगढन्त झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया जो न्यायोचित नही है, क्योकि मौजा नयानगर की आराजी नं. 469 मीन का कुल रकबा 85 बीघा 08 बिस्वां भूमि में वादी का अवैध कब्जा 4 बीघा कुछ बिस्वां भूम पर कब्जा काश्त है अथवा नही विभाग को जानकारी में नही हैं। विपक्षी 3 द्वारा खनिज सम्भावित क्षैत्र में उपलब्ध होना निश्चित है, चूंकि आराजी नं. 469 मीन. खनिज विभाग के खाते में खनिज सम्भावित क्षैत्र के रूप में इन्द्राज कर अमल दरामद की कार्यवाही की चुकी हैं। भूमि खनिज प्रयोजनार्थ आरक्षित हो चुकी है। वादी का प्रथम दृष्टीया प्रकरण नही हैं। खनिज संभावित बिलानाम भूमि में खनन कार्य हेतु क्वारीलाईसेन्स स्वीकृत कर खनिज समाप्त होने पर ब्लॉक प्लाट के मलबे को सही करा कर कृषि हेतु पुनः तैयार हो जाने में भूमि बंजर नही होती है, वादी अतिक्रमी होने से अधिकारों का हनन नही हैं। वादी द्वारा अवैध कब्जे वाली भूमि को स्वयं की जायदाद साबित करना न्यायोचित नहीं है। पुराना नाजायज कब्जा से खातेदारी देने का प्रावधान ही नही हैं। वादी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं हैं। वादी का विवादित क्षैत्र राजस्व मण्डल से सम्बन्धित हैं। खनिज विभाग की जानकारी में नही है। वादी द्वारा अवैध कब्जे वाली भूमि पर विपक्षी सं0 3 पर वाद दायर करना विधि विरूद्ध है, वाद चलने योग्य नही है एवं स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकार वादी को नही है। अतः वादपत्र खारिज फरमाया जावें। विवादित भूमि बिलानाम भूमि है, खनिज सम्पदा से पूर्ण होने से खनिज विभाग के खाते में इन्द्राज कर अमलदरामद की कार्यवाही की जा चुकी हैं। खनिज संभावित क्षैत्र होने से वादी के पक्ष में नियमन किया जाना न्यायोचित नही हैं। प्रस्तावित क्षैत्र बिलानाम राजकीय भूमि है। विपक्षी सं0 3 लोक सेवक है। अतः बिना 80 सी.पी. सी. के दो माह से पूर्व के नोटिस दिये बिना वाद दायर करना विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी का मौजा नयानगर

लगातार पेज संख्या 03 पर

ग्रा0ह0 नयानगर में स्थित आराजी नं0 469 मीन में हक नही होने के कारण अस्वीकार है, प्रार्थी किसी भी तरह से अनुतोष पाने की पात्रता नही रखता हैं। कब्जे वाली भूमि पर किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्ध नही किया जावे, क्योंकि उक्त भूमि खनिज सम्भावित क्षैत्र में दर्ज हो चुकी है जहां पर विभाग द्वारा खनिज आवंटन की सम्भावना हैं।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां ने जवाब प्रस्तुत किया कि वाद की चरण संख्या 1 वादी से सम्बन्धित हैं। वादी आवंटन व नियमन कमेटी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। वादी सबूत सहादत प्रस्तुत करे। वादी ने बिना आज्ञा राजकीय भूमि पर कब्जा किया हैं। आवंटन व नियमन कमेटी करती है। बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण पर नियमानुसार पेलेन्टी वसूली की जाना नियमानुसार हैं। बिलानाम राजकीय भूमि पर खातेदारी अवैधानिक है। राज्यहित में खनन हेतु आरक्षित किया जाना उचित है। चरण संख्या 9 खनन विभाग से सम्बन्धित हैं। वादी द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति कार्य किया है जो वैधानिक नही हैं। वादी राजकीय बिलानाम भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। राजकीय प्रक्रिया से खनन हेतु दी गई हैं। बिलानाम राजकीय भूमि से बेदखली के लिए एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत अधिकार हैं। बिलानाम भूमि हैं। खातेदार घोषित किया जाना उचित नही है। वाद खारिज योग्य है। बिलानाम भूमि से बेदखली नियमानुसार है। वाद बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है वाद खारिज योग्य हैं।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र पेश किया, नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2040व 2041 व 2043– 2044 – 2049 –2053 – 2054 – 2055 – 2056 – 2057 कुल 10 पेश किये हैं, नकल जमाबन्दी ग्राम नयानगर 2051 से 2060 पेश किया, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय न्यायालय अति. तहसीलदार बिजौलियां प्र.स.202/93, प्रमाणित प्रतिलिपि अति. तहसीलदार बिजौलियां प्र.स. 1077/97, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय अति. तहसीलदार बिजौलियां प्र.स. 248/98, फोटोकॉपी रसीद पेनल्टी रसीद क. 0047 59143 – दिनोक 03/4/04 पेश किया, नोटिस की नकल रसीद, फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तन पेश की हैं।

वादपत्र व जवाबदावा के तथ्यो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई4।

तनकी नं0 1 – आया कि मौजा नयानगर स्थित राजकीय भूमि 843/466 रकबा 5 बिस्वां, ख.न. 845/466 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वां, ख.नं. 847/466 रकबा 1 बीघा एवं ख.नं. 469 मी0 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वां की खातेदारी पुराने कब्जे के आधार पर करने का अधिकारी हैं।

..... जिम्मे वादी

तनकी नं0 2 – आया वादी के लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे काश्त से वादी को बेदखल करने से प्रतिवादीगण को रोका जाना उचित हैं।

.....जिम्मे वादी

तनकी नं0 3 – आया आराजी ख.नं. 469 खनिज के लिए संभावित खनिज क्षैत्र होने से वाद पर उसका क्या प्रभाव हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी नं0 3

तनकी नं0 4 – आया बिलानाम भूमि पर किये गये कब्जे के अनुसरण वादी खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी नं0 3

तनकी नं0 5 – आया वादी को आवंटन आवेदन के द्वारा भूमि का आवंटन संभव हैं घोषणात्मक डिक्री का पोषणीय नहीं हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी नं0 1

तनकी नं0 6 – अनुतोष।

शहादत वादी में वादीगण ने पीडब्ल्यू–1 हजारी पिता मांगूजी बंजारा निवासी रसदपुरा (आरोली), पीडब्ल्यू–2 बिहारी पिता कालू बंजारा निवासी रसदपुरा (आरोली), पीडब्ल्यू–3 दुर्गालाल पिता बद्री बंजारा निवासी जलेरी (नयानगर), पीडब्ल्यू–4 बिहारी पिता बालू बंजारा निवासी जलेरी (नयानगर) एवं जीवालाल पिता मानसिंह बंजारा निवासी जलेरी को साक्ष्य में प्रस्तुत कर बयान कराये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

लगातार पेज संख्या 04 पर

शहादत प्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1 बलराम पिता रामधन मीणा नि0 बिजौलियां हा.मु. नयानगर के बयान में लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

विद्वान अधिवक्ता एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बताया की वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिलाना चाहा गया एवं पैरोकार सरकार ने बहस में बताया कि यह वाद बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है वादपत्र खारिज किये जाने योग्य बताया हैं।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं तहसीलदार बिजौलियां के जवाब के आधार पर मौजा नयानगर स्थित ख.न. 843/466 रकबा 5 बिस्वां ख.न. 844/466 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वां, ख.नं. 845/466 रकबा 4 बिस्वां, ख.नं. 846/466 रकबा 4 बिस्वां, ख.नं. 847/466 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वां तथा ख.नं. 469 के वादी के कब्जे वाली भूमि 4 बीघा सहित कुल भूमि 7 बीघा 14 बिस्वां भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित नहीं समझते है। प्रस्तुत वाद पत्र वादी खारीज किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः मौजा नयानगर स्थित ख.न. 843/466 रकबा 5 बिस्वां ख.न. 844/466 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख.नं. 845/466 रकबा 4 बिस्वां, ख.नं. 846/466 रकबा 4 बिस्वां, ख.नं. 847/466 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वां तथा ख.नं. 469 के वादी के कब्जे वाली भूमि 4 बीघा सहित कुल भूमि 7 बीघा 14 बिस्वां भूमि से वादी के वादपत्र को अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के तहत् खारीज किया जाता है। डिक्री मूर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक **28/06/2023** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां